तकदीर का बयान | बुखारी शरीफ

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी.

एक हज़ार मुन्तखब हदीसे बुखारी शरीफ हिन्दी.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

{1} रावी इमरान बिन हुसैन (रदी) रिवायत का खुलासा - एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले पहचाने जा चुके हे? आपने फरमाया बेशक उसने अर्ज़ किया तो फिर अमल करने वाले क्यों अमल करते हे? आपने फरमाया हर शख्स उसी के लिये अमल करता हे जिसके लिये वह पैदा किया गया हे, या उसी के मुवाफिक उसे अमल करने की तौफीक दी जाती हे.

वज़ाहत- चूंकि अपने अंजाम से कोई बन्दा व बशर वाकिफ नहीं हे इसलिये उसकी ज़िम्मेदारी हे की उन कामों को बजा लाये जिनका उसे हुक्म दिया गया हे, क्योंकि उसके आमाल उसके अंजाम की निशानी हे लिहाज़ा नेक आमाल को अमल मे लाने मे कोताही न करे अगरचे खात्मे के मुताल्लिक यकीनी इल्म अल्लाह तआला के पास ही हे. (फत्हुल बारी)

{2} हुज़ैफा (रदी) रिवायत का खुलासा - रसूलुल्लाहﷺ ने हमे खुतबा इरशाद फरमाया और कियामत की जितनी बातें होनी थी वो सब बयान फरमाई, अब जिसने उन्हें याद रखना था उन्हें याद रखा और जिसको भूलना था वह भूल गया, और मे जिस बात को भूल गया हूं अब उसे ज़ाहिर होती देखकर इस तरह पहचान लेता हूं जिस तरह किसी का साथी गायब होकर ज़ेहन मे न रहे फिर जब वह उसे देखता हे तो पहचान लेता हे.

{3} अबू हुरैरह (रदी) रिवायत का खुलासा - रसूलुल्लाहﷺ ने फरमाया अल्लाह तआला का पाक इरशाद हे की नज़र (मन्नत) मानना आदम के बेटे (यानी इन्सान) के पास वह चीज़ नहीं लाती जो हमने उसकी तकदीर मे न रखी हो, बल्कि उसको तकदीर उस नज़र की तरफ डाल देती हे और हमने भी उस चीज़ को उसके मुकद्दर मे किया होता हे ताकि हम इस सबब से बखील का माल खर्च करवायें.

वज़ाहत: बखील (माल को रोक कर रखने वाले, कन्जूस) पर जब कोई मुसीबत आती हे तो नज़र मानता हे, वह काम हो

जाता हे तो अब उसे खर्च करना पडता हे, चुनाँचे एक हदीस मे हे की बखील जो खर्च नहीं करना चाहता, नज़र के ज़रिये उससे माल निकाला जाता हे. (फत्हुल बारी)

{4} अबू सईद खुदरी (रदी) रिवायत का खुलासा - रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया जो खलीफा होता हे उसके दो सलाहकार (एक फरिश्ता और दूसरा शैतान) होते हे, जिनमें एक (यानी फरिश्ता) तो उसे अच्छी बातें कहने और ऐसी ही बातों की तरगीब देने पर मामूर करता हे और दूसरा (यानी शैतान) बुरी बातें कहने और उन पर उभारने के लिये होता हे, बेगुनाह तो वो हे जिसे अल्लाह तआला महफूज़ रखे.

वज़ाहत: बुखारी की एक दूसरी हदीस मे हे की हर नबी और खलीफा के दो सलाहकार होते हे,रसूलुल्लाह ﷺ का पाक इरशाद हे की मे अपने बुरे मुशीर के उभारने से महफूज़ रहता हूं. (फत्हुल बारी)

नोट: कलाम का खुलासा यह हे की मुजरिम या नेक होना इन्सान का काम हे, यानी उसका अपना फैसला हे अल्लाह

तआला का फैसला या हुक्म नहीं हे, बल्कि अल्लाह तआला तो बुरे अंजाम से डराते हे और नेक कामों की तरगीब देते हे, अगर इन्सान हर बुरा काम अल्लाह तआला के हुक्म से कर रहा हे तो अल्लाह तआला मना क्यों करते.

अल्लाह तआला का फरमान हे

{1} सूर नहल १६, आयत ९० तर्जुमा - बेशक अल्लाह तआला नेकी और इन्साफ और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक का हुक्म देते हे और हर किस्म के बुरे कामों, बेहयाई और नाफरमानी से मना करते हे.

एक तरफ अल्लाह तआला बुराई से मना करे और दूसरी तरफ बुराई उसी के हुक्म से हो यह बात अल्लाह तआला की शान के खिलाफ हे, बल्कि अल्लाह तआला ने बुराई से मना करने और नेकी की हिदायत करने के लिये अपने नबी हज़रात भेजे, किताबें नाज़िल की, लिहाज़ा बुराई को अल्लाह तआला की तरफ मन्सूब करना इन्साफ के खिलाफ हे. इन्सान नेकी या बदी अपने इख्तियार से करता हे और उसकी जज़ा व सज़ा अल्लाह तआला ज़रूर देगा.

{2} सूर नज्म ५३, आयत ३९/४० तर्जुमा - और हर इन्सान के लिये वही कुछ हे जिसकी उसने कोशिश की, और यह की वह जल्द ही अपनी कोशिश का अंजाम देख लेगा.

मालूम हुआ की इन्सान अपने इख्तियार से जो भी भलाई या बुराई करेगा उसे उसका बदला (जज़ा या सज़ा) मिलकर रहेगा, इसलिये की हर इन्सान को इख्तियार और सलाहियत वाला बनाकर भेजा गया हे, यह बिल्कुल मजबूर नहीं अलबत्ता जहाँ मजबूर होगा वहाँ इससे सवाल भी न होगा.

{3} सूर बकरह २, आयत २८६ तर्जुमा - अल्लाह तआला किसी को उसकी हिम्मत व गुंजाईश से ज़्यादा तकलीफ मे नहीं डालते हे, जो नेकी करेगा उसका अजर मिलेगा और जो गुनाह करेगा उसका खमियाजा उसे भुगतना पडेगा.

{4} सूर हा मीम अस्सज्दा ४१, आयत ४६ तर्जुमा - और आपका रब अपने बन्दों पर जुल्म नहीं करता.

गौर कीजिये अगर इन्सान गुनाह अपनी मरजी से नहीं करता

बल्कि अल्लाह तआला की तकदीर से मजबूर होकर करता हे तो यह इन्सान गुनाह के मामले मे बेकसूर होगा, और फिर अल्लाह तआला इसे इसके गुनाहों के सबब अज़ाब दे तो यह जुल्म होगा, और अल्लाह तआला अपने बन्दों पर जुल्म नहीं करता हे, इसलिये साबित हुआ की गुनाह इन्सान अपनी मरजी और अपने फैसले से खुद करता हे, अल्लाह तआला का इस पर कोई जबर (जबरदस्ती और दबाव) नहीं होता हे.